न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 86/2024

नवान :

सुनिल कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. सुमन पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. अनिता नाबालिग जरिए कुदरती माता सुमन पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिए शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री जयकिशन गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 28-04-2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बुढेर के खाता संख्या 35/102 के खसरा संख्या 140 की 26.6960 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2547/26696 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता रणजीत से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामील के हाजिर नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश करने से पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुनिल कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। जमाबंदी रोही मौजा बुढेर संवत 2073–76 खाता संख्या 93/94 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा बुढेर संवत 2073–76 खाता संख्या 35/102 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा बुढेर 2057–60 खाता संख्या 63/64 तथा 64/65 प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढड़ा प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:28:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा बुढेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा बुढेर के खाता संख्या 35/102 के खसरा संख्या 140 की 26.6960 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2547/26696 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनिल कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 सुमन तथा प्रतिवादी संख्या 3 अनिता को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर के खाता संख्या 35/102 के खसरा संख्या 140 की 26.6960 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2547/26696 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनिल कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 सुमन तथा प्रतिवादी संख्या 3 अनिता को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:28:21 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 86/2024

उनवान :

सुनिल कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. सुमन पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. अनिता नाबालिग जरिए कुदरती माता सुमन पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिए शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील ादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय तु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री केया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर के खाता संख्या 35/102 के खसरा संख्या 140 की 26.6960 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2547/26696 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनिल कुमार, प्रतिवादी संख्या सुमन तथा प्रतिवादी संख्या 3 अनिता को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:28:21 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner